न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 29/23

उनवान

1. ईश्वर पुत्र कजोडमल
2. बुधराज पुत्र कजोडमल
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कजोडमल जाति कुम्हार नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र कजोड,
2. तेजू,
3. कल्याण पुत्र सुगना,
4. कालू पुत्र रामलाल,
5. गीता पत्नि रामलाल,
6. जगदीश पुत्र सुगना,
7. पूजा पुत्री रामलाल,
8. परमेश्वर पुत्र सुगना,
9. पारसी पुत्री रामलाल,
10. रामकन्या पुत्री सुगना,
11. सायरी पत्नि सुगना समस्त जातिगण जाट निवासीगण लोहरवाडा तहसील नसीराबाद,
12. दी मैजेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा लौहरवाडा तहसील नसीराबाद,
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद,

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 12 अनुपस्थित
13 जरियें राज0 पैरोकार

14. सीता पत्नी कजोड जाति कुम्हार नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 1.4.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद के आराजी खाता न0 1172/862 खसरा नम्बर 985 रकबा 0.87 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी के सीमांकन के लिये प्रार्थीगण द्वारा दिनांक दिनांक 8.7.22 को सीमांकन के लिये तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष आवेदन किया किन्तु सहखातेदारान की सहमती व कोर्ट से पत्थरगढाई करने की बात कही गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 प्रार्थीगण [illegible] दखल कारित कर भूमि हडडपने पर आमाा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आरा[illegible] की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। [illegible] 1 से 12 व 14 बावजुद तामीली उपस्थित नही होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। राज0 ने जाहिर किया की प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 985 रकबा 0.87 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष आवेदन पेश किया किन्तु प्रार्थना पत्र पर सभी सह खातेदार की सहमती ली जाने का अंकन है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। अप्रार्थीगण प्रकरण के खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा के पत्थरगढी के समय अपनी आपत्ति पेश की जा सकती है। पत्थरगढी से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा।

अतः ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद के आराजी हाल खसरा नम्बर 985 रकबा 0.87 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण/पडौसी खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested